

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

[ऑर्डर 20, सल 6-7, खाता बीकानी]

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

जगदीश राम आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 46/2020

निर्णय दिनांक :- 13/09/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर व हाजरी अधिवक्ता वादीगण श्री सुभाष गोयल पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री  
दी जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,  
136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 62 एक की  
जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 111/90 में अंकित नाम जगदीश राम पुत्र सरुपराम  
अंकित नाम ईसरराम पुत्र सरुपराम उर्फ रामस्वरूप व इसी चक के खाता संख्या 109/80 में  
अंकित नाम ईसरराम पुत्र सरुपराम के स्थान पर ईसरराम पुत्र सरुपराम उर्फ रामस्वरूप तथा इसी  
चक के खाता संख्या 110/90 में अंकित नाम तेजाराम पुत्र सरुपराम के स्थान पर तेजाराम पुत्र  
सरुपराम उर्फ रामस्वरूप अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है।

आज दिनांक 13/09/2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व  
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*hcm*

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/328

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

*hcm*

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

दिनांक: 13/9/21

*hcm*

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर